अध्याय 7

अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण

अध्याय 7

अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण

यह अध्याय अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण से संबंधित है, जिससे गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में नीतियों के अनुपालन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों के पता लगाने एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता तथा निर्धारित प्रारूप में सूचना और रिटर्न तैयार करने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा उद्देश्य: *क्या योजना के अनुसार विकास कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्राधिकरण में पर्याप्त एवं प्रभावी अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।*

अध्याय का संक्षिप्त सार:

- निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया था। अपितु, गतिविधियों और निष्पादनो को मासिक प्रगति आख्या के माध्यम से अभिलेखित और सूचित किया गया था, जो तुलनात्मक रूप से कम विस्तृत थे और व्यापक निष्पादन अभिलेखीकरण का अभाव था।

- गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के दौरान होने वाली 20 बैठकों के सापेक्ष मात्र 11 बोर्ड बैठकें आयोजित की गयीं थीं। इसके अतिरिक्त, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सूचना जैसे: राजस्व बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाही, अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्यवाही, महत्वपूर्ण शासकीय आदेशों के अनुपालन की स्थिति को इन बैठकों के दौरान बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

- आंतरिक लेखापरीक्षा से गुणवत्ता में कोई संवर्धन नहीं हुआ क्योंकि इसकी टिप्पणियों में चिन्हित की गयी कमियों को गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सुधारा नहीं गया था।

- गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयत संवर्ग में 36 प्रतिशत और अकेन्द्रीयत संवर्ग में सात प्रतिशत मानवशक्ति की कमी थी। इसके अतिरिक्त, अभियांत्रिकी संवर्ग के विभिन्न पदों के अंतर्गत 28 से 100 प्रतिशत तक की कमी थी।

7.1 प्रस्तावना

संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रभावी अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है। यह गतिविधियों के व्यवस्थित और कुशल संचालन, नीतियों का पालन, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता आदि को सुनिश्चित करता है।

अनुश्रवण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

7.2 अनुश्रवण

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण वित्त और लेखा मैनुअल, 2004 (मैनुअल) में विकास प्राधिकरणों की प्रमुख वित्तीय और परिचालन क्रियाकलापों की देखरेख करने की व्यवस्था का प्रावधान है। यह मैनुअल विकास प्राधिकरणों के विभिन्न लेन-देन और क्रियाकलापों को अभिलेखित और सूचित करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली भी निर्धारित करता है। प्रबंधन सूचना प्रणाली में विभिन्न गतिविधियों, क्रियाकलापों और लेन-देनों के निष्पादन के अभिलेखीकरण और सूचित करने के लिए 43 प्रारूप निर्धारित हैं।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने निर्देश (मार्च 2001) दिया था कि प्रत्येक त्रैमास में एक बार बोर्ड की बैठक आयोजित की जानी आवश्यक थी। इस प्रकार, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का निष्पादन भी गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के अनुश्रवण के अधीन था।

चूँकि, भूमि अधिग्रहण, संपत्ति विकास, आवंटन एवं अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए अधिनियम के अधीन कानूनी प्रावधानों का प्रवर्तन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्य हैं, इन क्षेत्रों हेतु निर्धारित प्रणाली के माध्यम से गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के निष्पादन को प्रभावी ढंग से अनुश्रवण किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण, संपत्ति विकास, संपत्ति बिक्री/आवंटन और प्रवर्तन गतिविधियों में कमियों से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं पर इस प्रतिवेदन के अध्याय IV, V और VI में विस्तार से चर्चा की गई है। इन कमियों का प्राथमिक कारण अप्रभावी अनुश्रवण था जो कि अपर्याप्त अभिलेखीकरण और अभिलेखों के समुचित रखरखाव न किये जाने के कारण था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

7.2.1 प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से अनुश्रवण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मैनुअल में निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रारूपों का उपयोग करते हुए गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की क्रियाकलापों को अभिलेखित नहीं किया गया था। इसके स्थान पर अन्य प्रारूपों का उपयोग कर मासिक प्रगति आख्या तैयार की गई थी। इस संबंध में यह भी पाया गया कि निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रारूप गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले मासिक प्रगति आख्या की तुलना में अधिक व्यापक और सूचना समृद्ध था। मासिक प्रगति आख्या के प्रारूपों में गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण विवरणों और सूचनाओं को आच्छादित नहीं किया था, जिससे उसके क्रियाकलापों के निष्पादन का अपूर्ण अभिलेखीकरण और रिपोर्टिंग किया जा रहा था। प्रबंधन सूचना प्रणाली और मासिक प्रगति आख्या के प्रारूपों के बीच विसंगतियों का सारांश **तालिका 7.1 (अ) और 7.1 (ब)** में दिया गया है।

तालिका 7.1 (अ): प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रारूपों की तुलना में मासिक प्रगति आख्या के प्रारूपों में कमियाँ

क्रम संख्या	प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार			मासिक प्रगति आख्या के अनुसार	
	मुख्य क्रियाकलाप	फॉर्म नंबर[1]	सूचना का विवरण	फॉर्म नंबर[2]	प्रबंधन सूचना प्रणाली की तुलना में अनुपलब्ध सूचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सम्पत्तियों का विकास और आवंटन	9	योजनावार/ परियोजनावार और श्रेणी-वार सम्पत्तियों के विकास और आवंटन की स्थिति	एनएफ-1, 2, 3, 4, 17 और 18	मासिक प्रगति आख्या में विकास और सम्पत्तियों के आवंटन की केवल श्रेणीवार स्थिति उपलब्ध थी। योजनावार/परियोजनावार विकास और सम्पत्तियों के आवंटन की स्थिति अनुपलब्ध थी।
		10	अनिस्तारित सम्पत्तियों की योजनावार/ परियोजनावार, श्रेणीवार अनिस्तारित सम्पत्तियों की मासिक	एनएफ-1,2,3,4, 17 और 18	मासिक प्रगति आख्या में केवल श्रेणीवार अनिस्तारित सम्पत्तियों की मासिक स्थिति उपलब्ध थी। सम्पत्तियों के निर्माण

1 प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रारूप में उल्लिखित जानकारी का विवरण **परिशिष्ट-7.1 (अ)** में उल्लिखित है।

2 मासिक प्रगति आख्या के प्रारूप में उल्लिखित जानकारी का विवरण **परिशिष्ट-7.1 (ब)** में उल्लिखित है।

क्रम संख्या	प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार			मासिक प्रगति आख्या के अनुसार	
	मुख्य क्रियाकलाप	फॉर्म नंबर[1]	सूचना का विवरण	फॉर्म नंबर[2]	प्रबंधन सूचना प्रणाली की तुलना में अनुपलब्ध सूचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			स्थिति जिसमें निर्माण की अवधि और सम्पत्तियों की वर्तमान भौतिक दशा अंकित हो।		की अवधि और भौतिक दशा को दर्शाते हुए अनिस्तारित सम्पत्तियों का योजनावार/ परियोजनावार विवरण अनुपलब्ध था।
2	भूमि	19	अधिग्रहित क्षेत्रफल और भूमि की लागत के साथ लैंड-बैंक	एनएफ-20	भूमि की लागत का उल्लेख नहीं है।
3	भवन नियंत्रण	37	अनधिकृत निर्माणों की मासिक स्थिति (धारा-27 के अंतर्गत चिन्हित प्रकरण, निर्गत ध्वस्तीकरण आदेश, वितरित नोटिस, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, धारा-28-ए के अधीन सील किए गए नए परिसर, अवमुक्त किए गए सील परिसर)	एनएफ-33	धारा-27 के अंतर्गत चिन्हित प्रकरणों में वितरित नोटिस की सूचना उपलब्ध नहीं, धारा-28-ए के अधीन सील किए गए नए परिसर, अवमुक्त किए गए सील परिसर।

(स्रोत: लेखा मैनुअल 2004 और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की मासिक प्रगति आख्या)

तालिका 7.1(ब): प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रारूपों का विवरण जो मासिक प्रगति आख्या के प्रारूपों में सम्मिलित नहीं किए गये

क्रम संख्या	मुख्य क्रियाकलाप	प्रबंधन सूचना प्रणाली फॉर्म नंबर	मासिक प्रगति आख्या में शामिल नहीं की गई सूचना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सम्पत्तियों का विकास और आवंटन	11	योजना/परियोजनावार और श्रेणीवार प्राप्त होने वाली और संग्रह की गई किस्त की मासिक स्थिति
		12	सम्पत्ति आवंटन पर मासिक स्थिति की सूचना जिसमें पूर्ण सम्पत्तियों की संख्या, बिक्री के लिए प्राप्त आवेदन, वास्तविक आवंटन और अनावंटित सम्पत्तियों का विवरण जिसमें सम्पत्तियों के अनावंटित रहने की अवधि सम्मिलित हो।
		13	किराए की सम्पत्तियों के मासिक निस्तारण की स्थिति
		14	फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों की मासिक स्थिति
		15	एकमुश्त निपटान योजना की मासिक स्थिति।
2	भूमि	20	योजना/परियोजना और कार्यवार भूमि अधिग्रहण की मासिक स्थिति
		21	योजना/परियोजनावार भूमिअधिग्रहण के लिए किए गए भुगतान की मासिक स्थिति
		22	प्रक्रियाधीन भूमि अधिग्रहण की मासिक स्थिति
3	कार्य	16	कार्यवार/योजना/परियोजनावार विकास कार्यों की मासिक भौतिक स्थिति
		17	कार्यवार/योजना/परियोजनावार विकास कार्यों की मासिक वित्तीय स्थिति
		18	प्रक्रियाधीन योजनाओं/परियोजनाओं की मासिक स्थिति
4	भवन नियंत्रण	38	स्वीकृत भवन योजना की मासिक स्थिति
		39	नजूल सम्पत्तियों की मासिक स्थिति
5	विविध	43	योजना/परियोजना की लाभप्रदता/व्यवहार्यता की मासिक स्थिति

(स्रोत: लेखा मैनुअल 2004 और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की मासिक प्रगति आख्या)

राज्य सरकार ने कहा (मार्च 2024) कि आवश्यक सूचनाएँ प्रत्येक माह शासन को प्रस्तुत की गई थी।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि मैनुअल में वर्णित प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए आवश्यक सूचनाएँ न तो तैयार की गई थी और न ही उचित स्तर पर सूचित की गयी थी। अपर्याप्त अभिलेखीकरण और रिपोर्टिंग किये जाने से गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के निष्पादन के अनुश्रवण का एक आवश्यक तंत्र कमजोर हुआ और परिणामस्वरूप, इसके कार्यों में पारदर्शिता की कमी परिलक्षित हुई।

7.2.2 गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठकें

लेखापरीक्षा ने बोर्ड की बैठक के आयोजन में, राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत इसकी आवधिकता, कोरम एवं कार्यों इत्यादि के संदर्भ में कमियाँ पायी जैसा कि **तालिका 7.2** में वर्णित है।

तालिका 7.2: निर्देशों के सापेक्ष अनुपालन का विवरण

क्र.सं.	निर्देशों का विवरण	अनुपालन की स्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	बोर्ड की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जानी चाहिए।	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2017-22 के दौरान प्रत्येक त्रैमास में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की। **परिशिष्ट-7.2** में वर्णित अवधि के दौरान एक वर्ष में एक से तीन बार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गयी।
2.	बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों को साधारण कोरम माना जाएगा बशर्ते कि बैठक में शासन का प्रतिनिधि उपस्थित हो।	अधिनियम, 1973 के अनुसार गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड में राज्य सरकार के दो पदेन सदस्य होते हैं, अर्थात् विकास प्राधिकरण के राज्य सरकार के विभाग के सचिव एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि। यद्यपि, विकास प्राधिकरण के राज्य सरकार के विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि वर्ष 2017-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं थे।

क्र.सं.	निर्देशों का विवरण	अनुपालन की स्थिति
3.	उपाध्यक्ष को प्रत्येक बोर्ड बैठक में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करनी होगी- (i) राजस्व को बढ़ाने और खर्चों को कम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण। (ii) अधिकतम मूल्य पर सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण। (iii) अतिक्रमित भूमि का विवरण और प्राधिकरण द्वारा इसे अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए की गयी कार्यवाही; और (iv) महत्वपूर्ण शासनादेशों के अनुपालन की स्थिति।	उपाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2017-22 में आयोजित बोर्ड की बैठकों के दौरान आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4.	प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पूर्ववर्ती वर्ष के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि के संबंध में एक विवरण[3] प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिसमें प्राधिकरण द्वारा नगर विकास शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, विकास शुल्क के रूप में कुल एकत्र की गई धनराशि और उनके उपयोग से सम्बंधित सूचना सम्मलित होगी। इस प्रकार का विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण के बोर्ड की प्रथम बैठक में यथासंभव प्रस्तुत किए जाने थे और इसकी प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित की जानी थी।	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017-22 के दौरान आयोजित किसी भी बोर्ड बैठक में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि की प्राप्ति और उसके उपयोग की स्थिति से सम्बंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

(स्रोत: गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सूचना)

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (मार्च 2024) में बताया कि प्रत्येक बोर्ड बैठक का एजेंडा नोट आवास और शहरी नियोजन विभाग को प्रेषित किया जाता है। राज्य सरकार के आदेश (मार्च 2001) के अनुसार बैठक में एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है और उसी आधार पर बोर्ड की बैठक आयोजित की गयी थी।

[3] उत्तर प्रदेश शासन ने नगर विकास शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क के लिए संशोधित दिशानिर्देश (2014) जारी किए।

राज्य सरकार ने यद्यपि, बोर्ड की त्रैमासिक बैठकें आयोजित न करने, राज्य सरकार के विकास प्राधिकरण के प्रभारी विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति और बोर्ड की बैठक में आवश्यक सूचना प्रस्तुत न करने के संबंध में उत्तर नहीं दिया।

इस प्रकार, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुश्रवण क्रियाविधि (प्रबंधन सूचना प्रणाली और बोर्ड बैठकों) के अनुपालन में कमी थी, जिससे प्राधिकरण को उसके निष्पादन में हो रही कमी के बारे में महत्वपूर्ण समीक्षात्मक दृष्टि से वंचित होना पड़ा, परिणामस्वरूप समय पर सुधारात्मक कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अंतर्गत, विशेष रूप से विकसित सम्पत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता एवं अनधिकृत निर्माण को रोकने हेतु प्रवर्तन गतिविधियों से भी समझौता किया गया।

7.3 आंतरिक नियंत्रण

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

7.3.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

मैनुअल में आंतरिक लेखापरीक्षा/प्रबंधन लेखापरीक्षा के क्षेत्र का उल्लेख है जिसमें वर्णित है कि विकास प्राधिकरणों में पूरे वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से स्थापित लेखापरीक्षा विभाग होगा। मैनुअल में यह भी व्यवस्था है कि आंतरिक लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्था से भी कराई जा सकती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा/प्रबंधन लेखापरीक्षा के संचालन में पायी गयी कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

7.3.2 अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2017-22 के दौरान गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म से करायी गयी थी। वर्ष 2017-22 की अवधि के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ संज्ञान में आयीं:

- मैनुअल की धारा-12 के प्रस्तर 1.4 में निर्धारित प्रारूप में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत की जानी थी। यद्यपि, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं की गयी थी।

- गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने आंतरिक लेखा परीक्षक फर्म को बैंक विवरण और बैंक समाधान विवरण जैसे अपेक्षित अभिलेख प्रदान नहीं किया।

- वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही से वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही तक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कुछ समान लेखापरीक्षा बिंदु/टिप्पणियाँ सम्मिलित थी, जो इंगित करता हैं कि उल्लिखित प्रकरणों को सही करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-7.3** में दिया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही का विवरण भी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया।

- आंतरिक लेखापरीक्षा की आपत्तियों के अनुपालन की निगरानी के लिए मैनुअल में दिए गए प्रावधान के अनुसार गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षा समिति का गठन किया जाना आवश्यक था। यद्यपि, वर्ष 2017-22 के दौरान इस समिति का गठन भी नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर (मार्च 2024) में कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखा अनुभाग को समय-समय पर उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्यवाही और टिप्पणियों के लिए गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के संबंधित विभागों को भेजी गयी थी। इन प्रकरणों पर कार्यवाही चल रही थी। आंतरिक लेखापरीक्षा को अपेक्षित अभिलेख/सूचनायें प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। भविष्य में, आंतरिक लेखापरीक्षा में पाए गए तथ्यों/मुद्दों को समय-समय पर सभी वर्गों से जानकारी प्राप्त करके समाधान किया जाएगा। यद्यपि, वर्ष 2017-22 के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन न करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा समिति के निर्धारित प्रणाली को स्थापित नहीं किया था। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा अप्रभावी

रही, क्योंकि इसकी टिप्पणियों में अंकित कमियों को सुधारने के लिए गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रयास नहीं किया गया था।

7.4 मानव संसाधन

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में दो उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है। अग्रेतर, अधिनियम गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकार देता है कि ऐसे नियंत्रण और प्रतिबंधों के अधीन, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी संख्या को नियुक्त करने के लिए जो इसके क्रियाकलापों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हो सकते हैं और उनके पदनाम और श्रेणी निर्धारित कर सकते हैं।

राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात, केंद्रीयत सेवाएं और अकेंद्रीयत सेवाएं। केंद्रीयत कर्मचारियों को विभाग के अंतर्गत किसी भी विकास प्राधिकरण में स्थानांतरित किया जा सकता है जबकि अकेंद्रीयत कर्मचारियों को अन्य प्राधिकरण में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में 31 मार्च 2022 को 137 केंद्रीयत और 681 अकेंद्रीयत अधिकारी/कर्मचारी थे। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

7.4.1 मानव संसाधनों की तैनाती

7.4.1.1 मानवशक्ति का उपयोग

स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों का विवरण **परिशिष्ट-7.4** में अंकित एवं **तालिका 7.3** में सारांशीकृत है.

तालिका 7.3: मार्च 2022 में स्वीकृत पदों और कार्यरत पदों का विवरण

क्रम संख्या	सेवाओं/पदों की श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राज्य सरकार के अधिकारी	3	3	00
2	केन्द्रीयत सेवाएं	213	137	76 (36)
3	अकेंद्रीयत सेवाएं	731	681	50 (07)
योग		**947**	**821**	**-**

(स्रोत: गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सूचना)

केन्द्रीयत सेवाओं के अंतर्गत 24 पद हैं जिनमें नौ पद अभियांत्रिकी संवर्ग से संबंधित हैं। इन नौ अभियांत्रिकी पदों में से, सात पदों में 28 से 100 प्रतिशत के मध्य कमी 31 मार्च, 2022 तक थी, जैसा कि **तालिका 7.4** में उल्लिखित है।

तालिका 7.4: 31 मार्च 2022 को अभियांत्रिकी पदों के सापेक्ष मानव संसाधन

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कार्यरत पदों में कमी (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुख्य अभियंता (विद्युत)	1	0	1 (100)
2	अधिशाषी अभियंता (सिविल)	8	5	3 (38)
3.	अधिशाषी अभियंता (विद्युत)	2	1	1 (50)
4	सहायक अभियंता (सिविल)	32	23	9 (28)
5	सहायक अभियंता (विद्युत)	6	3	3 (50)
6	अवर अभियंता (सिविल)	115	82	33 (29)
7	अवर अभियंता (विद्युत)	21	2	19 (90)

(स्रोत: गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सूचना)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं के सुचारू निष्पादन और समय पर पूर्ण करने के लिए पदों की रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध (मई 2018 और सितंबर 2019) किया। यद्यपि, मार्च 2022 तक अभियांत्रिकी संवर्ग में पर्याप्त कमी बनी रही।

राज्य सरकार ने उत्तर (मार्च 2024) में कहा कि केंद्रीयत सेवा के पदों पर तैनाती शासन स्तर से की जानी थी और अकेंद्रीयत सेवा के पदों पर तैनाती गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के स्तर पर की जानी थी। केंद्रीयत सेवाओं के अन्तर्गत अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों के संबंध में, कर्मियों की सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण के कारण पद रिक्त थे। यद्यपि, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने सरकार से आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों की सेवानिवृत्ति और नियुक्ति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध के कारण पद रिक्त पड़े थे।

तथ्य यथावत रहा कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद केंद्रीयत और अकेंद्रीयत संवर्ग में कमी थी।

7.4.1.2 प्रशिक्षण

प्रशिक्षण, एक संगठन की मानवशक्ति के कौशल में सुधार के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। निजी क्षेत्र से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिदृश्य में प्रशिक्षण अधिक महत्व रखता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्य की प्रकृति के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2017-22 के दौरान कोई योजना तैयार नहीं की थी। चूंकि, विकास कार्य गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें अभियांत्रिकी संवर्ग के मानव संसाधन को तैनात किया गया था, इसलिए, अभियांत्रिकी संवर्ग के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण था। जबकि, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों को मात्र कम्प्यूटर-आधारित प्रशिक्षण (प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के कार्य और देव ऑथ) प्रदान किया गया था। इस प्रकार, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास पर जोर नहीं दिया।

राज्य सरकार ने उत्तर में (मार्च 2024) कहा कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके लिए शासन द्वारा निर्देश निर्गत किए जाते हैं, अर्थात, मानव संसाधन पोर्टल, कम्प्यूटरीकरण, बीएलओ (एनआईसी), इत्यादि।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने नियमित आधार पर अपने अभियांत्रिकी और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी।

7.4.1.3 नई पेंशन योजना लागू नहीं की गयी

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के केंद्रीयत और अकेंद्रीयत कर्मचारी 11 नवंबर 2011 से उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्ति लाभ नियामावली 2011 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, उपदान और कम्यूटेशन इत्यादि) के हकदार हैं।

01 अप्रैल 2005 को या उसके उपरान्त नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नई पेंशन योजना, केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा के ऐसे सदस्यों पर भी लागू होगी जो 01 अप्रैल 2005 को या उसके उपरान्त नियुक्त किये गयें है।

योजना के अनुसार, विभागों/कार्यालयों/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों के प्रमुख को एक माह के भीतर संबंधित कर्मचारी के लिए एक सूचकांक संख्या प्राप्त करनी थी, जिसमें कर्मचारियों के वेतन का 10 प्रतिशत[4] और नियोक्ता के समतुल्य योगदान (या उत्तर प्रदेश शासन के निर्णय के अनुसार) जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अकेंद्रीयत सेवा (पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लिपिक, चपरासी, इत्यादि) के अंतर्गत गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में 01 अप्रैल 2005 को या उसके उपरान्त 117 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें नई पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाना था। योजना के अनुसार, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सूचकांक संख्या प्राप्त की जानी थी और कर्मचारियों का योगदान प्राप्त करने और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा समतुल्य योगदान प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा न

4 मूल वेतन + मँहगाई भत्ता

तो सूचकांक संख्या प्राप्त करना सुनिश्चित किया गया था और न ही इसने कर्मचारियों के योगदान के साथ अपना समतुल्य योगदान प्रदान किया। इस प्रकार, नई पेंशन योजना को गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में लागू नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (मार्च 2024) में कहा कि 01 मार्च 2005 के उपरान्त नियुक्त कर्मियों की नई पेंशन योजना की कटौती के लिए प्रासंगिक आदेश वर्ष 2019 में गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में प्राप्त हुआ। तदुपरांत, योजना से आच्छादित कर्मियों से आवश्यक जानकारी माँगी गयी, जो अभी भी उनसे प्राप्त होना प्रतीक्षित था। अतः लाभार्थियों से सूचना प्राप्त होने के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी।

तथ्य यथावत रहा कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने 01 अप्रैल 2005 को या उसके उपरान्त नियुक्त अपने कर्मियों को नई पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया। परिणामस्वरूप, कर्मियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपायों से आच्छादित नहीं किया गया था।

संक्षेप में, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की गतिविधियों का अनुश्रवण शिथिल था, क्योंकि इसकी गतिविधियों को प्रबंधन सूचना प्रणाली में निर्धारित रूप से अभिलिखित एवं प्रतिवेदित नहीं किया गया था। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठकें भी निर्धारित मानकों के अनुसार आयोजित नहीं की गईं थीं। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उपचारात्मक उपाय करने के लिए निर्धारित प्रणाली विकसित नहीं की। अग्रेतर, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण को मानवशक्ति की कमी का सामना, विशेष रूप से अभियांत्रिकी संवर्ग में करना पड़ा।

अनुशंसा 15: *राज्य सरकार को विलम्ब एवं मानकों से विचलन का पहचान करने के लिए निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करना चाहिए। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठकें निर्धारित आवृत्ति और प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित होनी चाहिए।*

अनुशंसा 16: *राज्य सरकार को गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण वित्त और लेखा मैनुअल, 2004 में प्रावधानित लेखापरीक्षा समिति का गठन सुनिश्चित करना चाहिए।*

अनुशंसा 17: *राज्य सरकार को गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की तैनाती सुनिश्चित करनी चाहिए।*

(राज कुमार)

प्रयागराज — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

दिनांक: 12 जनवरी 2026 — उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 15 JAN 2026